भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3317

जिसका उत्तर 20.03.2025 को दिया जाना है

बजट आवंटन में वृद्धि

3317. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के वर्ष 2025-26 के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में सड़क अवसंरचना के विकास के लिए बजट का कोई विशिष्ट हिस्सा निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में सड़क सुरक्षा के लिए किन्हीं नई परियोजनाओं की योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में मौजूदा सड़कों के रख-रखाव और उन्नयन के लिए बजट में प्रावधान किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या देश में विद्युत वाहन अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए बजटीय आवंटन का एक विशिष्ट हिस्सा प्रदान किया गया है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) का प्रस्तावित बजटीय परिव्यय 2,87,333 करोड़ रुपये है।

(ख) सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। बजटीय परिव्यय का अधिकांश भाग आम तौर पर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता है, जिसमें केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के तहत राज्य सड़कों का विकास और रखरखाव भी शामिल है।

विगत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए आवंटित निधि और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, विगत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य की सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए सीआरआईएफ के अंतर्गत निधियों के उपार्जन/आबंटन तथा जारी निधियों/व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) एनएच पर सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग उपाय/कार्य, जिसमें ब्लैकस्पॉट्स का सुधार शामिल है, मुख्य रूप से एनएच पर विकास/रखरखाव कार्यों के दायरे के भाग के रूप में या कुछ मामलों में स्टैंडअलोन परियोजनाओं के रूप में किए जाते हैं। 2021-22 तक एनएच पर चिन्हित किए गए कुल 13,795 ब्लैक स्पॉट्स में से 11,515 ब्लैक स्पॉट्स पर अल्पकालिक सुधार उपाय पूरे किए गए हैं और 5,036 ब्लैक स्पॉट्स पर स्थायी सुधार उपाय पूरे किए गए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1,000 ब्लैक स्पॉट्स को स्थायी रूप से सुधारने की योजना बनाई है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है। पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए आवंटित निधि और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है, जैसा कि भाग (ख) के उत्तर में दिया गया है।

(ड.) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बजट में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए कोई विशिष्ट बजटीय आवंटन नहीं है।

तथापि, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 40-60 किलोमीटर के अंतराल पर मार्गस्थ सुविधाएं (डब्लयूएसए) के विकास की परिकल्पना की है। इन डब्लयूएसए पर अनिवार्य सुविधा के रूप में ईवी चार्जिंग स्टेशन (ईवीसीएस) का प्रावधान किया गया है। अब तक कुल 393 डब्लयूएसए दिए जा चुके हैं, जिनमें से 94 चालू हैं। चालू 94 डब्लयूएसए में से 50 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों से सुसज्जित हैं।

अनुबंध- I

“बजट आवंटन में वृद्धि” के संबंध में श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा पूछे गए दिनांक 20.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3317 के भाग (ख) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए आवंटित निधि और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा:-

					राशि ₹ करोड़ में
क्र.स.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2023-24**		**2024-25 (31.01.2025 तक)**	
		आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**
1	आंध्र प्रदेश	11,440	11,440	9,847	8,904
2	अरुणाचल प्रदेश	2,649	2,649	3,488	2,064
3	असम	9,137	9,137	5,239	5,029
4	बिहार	10,749	10,749	6,503	6,261
5	छत्तीसगढ	4,255	4,255	1,544	1,188
6	गोवा	620	620	838	431
7	गुजरात	10,900	10,900	6,262	5,923
8	हरियाणा	6,062	6,062	3,369	3,263
9	हिमाचल प्रदेश	5,175	5,175	3,310	3,106
10	झारखंड	4,599	4,599	4,414	4,096
11	कर्नाटक	12,695	12,695	8,943	7,607
12	केरल	10,419	10,419	2,756	2,690
13	मध्य प्रदेश	7,447	7,447	6,012	5,578
14	महाराष्ट्र	19,867	19,867	16,503	14,224
15	मणिपुर	2,598	2,598	1,508	1,495
16	मेघालय	1,803	1,803	1,394	1,012
17	मिजोरम	2,189	2,189	1,467	1,411
18	नागालैंड	1,414	1,414	1,227	1,062
19	ओडिशा	5,948	5,948	4,905	4,298
20	पंजाब	12,419	12,419	6,910	6,545
21	राजस्थान	8,874	8,874	5,251	4,928
22	सिक्किम	684	684	357	320
23	तमिलनाडु	9,925	9,925	7,076	6,735
24	तेलंगाना	6,117	6,117	6,644	5,869

राशि ₹ करोड़ में					
क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023-24		2024-25 (31.01.2025 तक)	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
25	त्रिपुरा	1,546	1,546	514	499
26	उत्तर प्रदेश	28,114	28,114	16,957	15,255
27	उत्तराखंड	4,545	4,545	3,333	2,897
28	पश्चिम बंगाल	3,543	3,543	2,028	1,750
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	96	96	139	139
30	दादरा एवं नगर हवेली	2	2	100	3
31	दमन और दीव				
32	दिल्ली / मुख्यालय	3,223	3,223	2,403	2,398
33	जम्मू और कश्मीर	10,528	10,528	7,858	7,329
34	लद्दाख	658	658	704	653
35	पुदुचेरी	35	35	28	20

आवंटन - आबंटन; व्यय - व्यय

अनुबंध- II

"बजट आवंटन में वृद्धि" के संबंध में श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा पूछे गए दिनांक 20.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3317 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य की सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए सीआरआईएफ के तहत निधियों के उपार्जन/आबंटन और जारी/व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा:-

					करोड़ रूपये में
क्र.स.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2023-24**		**2024-25 (28.02.2025 तक)**	
		उपार्जन#	**जारी#**	**उपार्जन#**	**जारी#**
1	आंध्र प्रदेश	420.10	485.48	420.00	213.25
2	अरुणाचल प्रदेश	167.75	238.00	168.04	165.10
3	असम	194.65	223.24	193.55	163.54
4	बिहार	258.43	258.43	255.17	222.18
5	छत्तीसगढ	320.19	353.60	322.62	85.34
6	गोवा	18.47	48.16	17.79	15.03
7	गुजरात	586.35	73.79	585.01	472.85
8	हरियाणा	205.63	108.60	203.31	105.03
9	हिमाचल प्रदेश	136.32	136.32	130.95	110.65
10	झारखंड	207.57	192.64	208.51	167.74
11	कर्नाटक	608.06	660.91	608.81	0.00
12	केरल	171.14	186.37	166.06	140.31
13	मध्य प्रदेश	719.10	778.13	721.61	682.14
14	महाराष्ट्र	886.63	886.63	891.52	891.52
15	मणिपुर	48.37	146.98	46.87	15.19
16	मेघालय	54.83	78.42	55.37	46.79
17	मिजोरम	43.62	35.60	43.86	0.00
18	नागालैंड	35.54	46.09	35.79	30.24
19	ओडिशा	387.41	423.41	392.13	331.33
20	पंजाब	195.33	72.04	195.97	64.04

करोड़ रूपये में					
क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023-24		2024-25 (28.02.2025 तक)	
21	राजस्थान	812.41	745.90	816.17	689.63
22	सिक्किम	16.27	28.04	16.18	13.67
23	तमिलनाडु	457.11	486.15	457.75	425.76
24	तेलंगाना	335.09	366.38	335.58	330.00
25	त्रिपुरा	23.94	25.92	24.01	15.96
26	उत्तर प्रदेश	777.40	821.07	777.88	657.28
27	उत्तराखंड	129.83	140.46	129.95	55.07
28	पश्चिम बंगाल	275.67	298.08	272.75	230.46
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	19.75	16.68	19.75	11.12
30	चंडीगढ़	7.39	0.00	7.40	0.00
31	दादरा एवं नगर हवेली	6.50	0.00	6.49	0.00
32	दमन और दीव				
33	दिल्ली	36.31	0.00	36.31	0.00
34	जम्मू और कश्मीर	128.67	206.67	128.67	108.72
35	लद्दाख	326.41	68.10	326.41	95.56
36	पुदुचेरी	11.76	9.94	11.76	9.94

कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि, उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पिछले वर्षों के अव्ययित शेष से राज्य के संचय से अधिक है।

 # सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत सेतु बंधन के अंतर्गत राज्य सड़कों पर आरओबी/आरयूबी/पुलों के निर्माण के लिए आवंटित/जारी निधि शामिल है

*****